

भारत में राजनीतिक प्रक्रिया

THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. डी. गोपाल (अध्यक्ष) राजनीति विज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, मैदान गढ़ी, इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. ए. के. सिंह सेन्टर फॉर फेडरल स्टडीज जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रो. एस. वी. रेड्डी राजनीति विज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ मैदान गढ़ी, इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. अमित प्रकाश सेन्टर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एण्ड गर्वनेस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रो. सारतिक बाग राजनीति विज्ञान विभाग बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय रायबरेली रोड, लखनऊ	प्रो. जगपाल सिंह राजनीति विज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ मैदान गढ़ी, इग्नू, नई दिल्ली
	प्रो. अनुराग जोशी राजनीति विज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ मैदान गढ़ी, इग्नू, नई दिल्ली	

पाठ्यक्रम प्रस्तुति दल

खंड / इकाई	नाम	इकाई लेखक
खण्ड 1	राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था	
इकाई 1	राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्थाएं एवं लोकतंत्र	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 2	भारत में राजनीतिक दल	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 3	भारत में दलीय प्रणाली	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 2	मतदान व्यवहार का निर्धारण	
इकाई 4	जति, वर्ग, जेन्डर और जनजाति	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 5	नृजातीयता, धर्म और भाषा	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 3	क्षेत्रीय अपेक्षाएं एवं आन्दोलन	
इकाई 6	स्वायत्ता आंदोलन	प्रो. जगपाल सिंह, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 7	विद्रोह	डॉ. एन. किशोरचन्द्र सिंह, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 8	अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन	प्रो. जगपाल सिंह, इग्नू, नई दिल्ली
खण्ड 4	धर्म और राजनीति	
इकाई 9	धर्मनिरपेक्षता	प्रो. जगपाल सिंह, इग्नू, नई दिल्ली
इकाई 10	सांप्रदायिकता	डॉ. राकेश बटव्याल, एसोसिएट प्रोफेसर, सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, जेएनयू, नई दिल्ली
ठस्प्ल 5	जाति और राजनीति	
इकाई 11	जाति आधारित गठन और राजनीतिक संगठन	डॉ. अंकिता दत्ता, रिसर्च फैलो, आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली
इकाई 12	जाति और राजनीति	डॉ. दिव्या रानी, कन्सलटेन्ट, इग्नू, नई दिल्ली
ठस्प्ल 6	सकारात्मक कार्यवाही	
इकाई 13	आरक्षण	प्रो. आर. के. बारीक (रिटायर्ड प्रो. आईआईपीए) नई दिल्ली
इकाई 14	विकास	डॉ. सिद्धान्त मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. जगपाल सिंह
राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
मैदान गढ़ी, इग्नू नई दिल्ली

मुख्य संपादक

प्रो. जगपाल सिंह
राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
मैदान गढ़ी,
इग्नू नई दिल्ली

संपादक (इकाई स्वरूपण, पुनरीक्षण और सामग्री अधितन)

डॉ. दिव्या रानी,
कन्सलटेन्ट, राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
मैदान गढ़ी, इग्नू नई दिल्ली

सामग्री निर्माण

श्री राजीव गिरधर असिस्टेंट रजिस्ट्रार (प्रकाशन) एम.पी.डी.डी., इग्नू नई दिल्ली	श्री हेमन्त परीदा असिस्टेंट रजिस्ट्रार (प्रकाशन) एम.पी.डी.डी., इग्नू नई दिल्ली	श्री सुरेश कुमार सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली
---	--	--

अगस्त, 2020

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

ISBN:

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश किसी भी रूप में पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता, अनुलिपिक या किसी अन्य साधन द्वारा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बिना किसी लिखित आदेश व पुनः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कोर्स की सूचना विश्वविद्यालय के मैदान गढ़ी कार्यालय, नई दिल्ली-110068 के द्वारा प्राप्त की जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://www.ignou.ac.in> देखें।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से निदेशक, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

कवर डिजाइनर : अरविन्दर चावला, एडीए ग्राफिक्स, नई दिल्ली

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कम्प्यूटर्स, सी-206, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली

मुद्रित :

विषय सूची

पृष्ठ क्रमांक

खण्ड 1	राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था	7
इकाई 1	राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्थाएं एवं लोकतंत्र	9
इकाई 2	भारत में राजनीतिक दल	17
इकाई 3	भारत में दलीय प्रणाली	29
खण्ड 2	मतदान व्यवहार का निर्धारण	37
इकाई 4	जति, वर्ग, जेन्डर और जनजाति	39
इकाई 5	नृजातीयता, धर्म और भाषा	47
खण्ड 3	क्षेत्रीय अपेक्षाएं एवं आन्दोलन	57
इकाई 6	स्वायत्ता आंदोलन	59
इकाई 7	विद्रोह	69
इकाई 8	अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन	80
खण्ड 4	धर्म और राजनीति	93
इकाई 9	धर्मनिरपेक्षता	95
इकाई 10	सांप्रदायिकता	103
खण्ड 5	जाति और राजनीति	111
इकाई 11	जाति आधारित गठन और राजनीतिक संगठन	113
इकाई 12	जति और राजनीति	122
खण्ड 6	सकारात्मक कार्यवाही	131
इकाई 13	आरक्षण	133
इकाई 14	विकास	143
संदर्भ		154

पाठ्यक्रम परिचय

यह पाठ्यक्रम छात्रों को भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराता है। इस पाठ्यक्रम में 14 इकाइयाँ हैं और ये इकाइयाँ 6 खंडों में विभाजित हैं। प्रथम खण्ड में राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित इकाइयाँ हैं। खण्ड दो के अंतर्गत मतदान व्यवहार के बारे में चर्चा की गई है। खण्ड तीन क्षेत्रीय अपेक्षाएँ एवं आंदोलनों से संबंधित है। खण्ड चार में धर्म और राजनीति के बीच संबंधों की चर्चा की गई है। खण्ड पाँच के अंतर्गत जाति एवं राजनीति की इकाइयाँ शामिल हैं तथा खण्ड छः में सकारात्मक कार्यवाही तथा आरक्षण एवं विकास की चर्चा की गई है। प्रत्येक खण्ड में इकाइयों का विवरण इस प्रकार है:- खण्ड एक में तीन इकाइयाँ हैं। जिनमें भारतीय राजनीतिक दलों, दलिय व्यवस्था, लोकतंत्र इत्यादि शामिल हैं। खण्ड दो के अंतर्गत दो इकाइयाँ हैं जो कि मतदान व्यवहार एवं उसके निर्णायक तत्वों के बारे में हैं। इकाई संख्या चार जाति, वर्ग, जेंडर एवं आदिवासियों से संबंधित है। इकाई संख्या पाँच नृजातियता, धर्म और भाषा के बारे में है। खण्ड तीन में क्षेत्रीय अपेक्षाएँ एवं आंदोलनों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इकाई संख्या 6, 7 और 8 स्वायत्ता आंदोलन, विद्रोह और पृथक राज्य आंदोलनों के बारे में है। खण्ड पाँच में दो इकाइयाँ हैं जो कि इकाई संख्या 11 एवं 12 हैं। इकाई 11 जाति संगठनों एवं राजनीतिक गठनों से संबंधित है। इकाई 12 जाति एवं राजनीति से संबंधित है। खण्ड 6 में दो इकाइयाँ हैं:- 13 एवं 14 जोकि आरक्षण और विकास के बारे में विस्तृत चर्चा करती है।

प्रत्येक इकाई के अंत में अभ्यास प्रश्न दिये गये हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इकाई के अंत में दिये गये हैं। आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। आप प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम के अंत में संदर्भ सूची भी दी गई है। आप इस सूची को अवश्य देखें।



खण्ड 1

राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण संस्थाएँ होती हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल लोगों को लामबद करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। लोग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के रूप में विधायी निकायों के लिये अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत में कई राजनीतिक दल हैं। ये विभिन्न विचारधाराओं, मुद्दों, नेतृत्व, नीतियों और कार्यक्रमों, क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों या अखिल भारतीय स्तरों पर उनके प्रभाव के विस्तार के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या पंजीकृत दलों के रूप में की जा सकती है। भारत में उनकी संख्या के आधार पर उन्हें एक पार्टी प्रणाली, दो पार्टी या बहुदलीय प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। इस खण्ड में तीन इकाइयाँ हैं जो कि राजनीतिक दलों, दलिय व्यवस्था और लोकतंत्र से संबंधित हैं। इकाई दो और तीन क्रमशः राजनीतिक दलों और दलिय व्यवस्था के बारे में चर्चा करती हैं।



इकाई 1 राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र*

इकाई की रूपरेख

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 राजनीतिक दल एवं राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ
- 1.3 भारत में राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था का विकास
 - 1.3.1 एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व
 - 1.3.2 बहु-दलीय व्यवस्था
 - 1.3.3 द्वि-दलीय एवं द्वि-ध्रुवीय दलीय व्यवस्था
- 1.4 राजनैतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था एवं भारत में लोकतंत्र
- 1.5 सारांश
- 1.6 संदर्भ
- 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- दलीय व्यवस्था और राजनैतिक दलों की परिभाषा दे सकेंगे;
- भारत में दलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दलों के प्रमुख विशेषताओं को समझा सकेंगे;
- राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र के बीच संबंधों की व्याख्या सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनैतिक दल उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें लोग विधायी निकायों में राजनीतिक दलों के नामांकित व्यक्तियों को चुनकर भेजती है। ये राजनैतिक दल लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल करती हैं। इन गतिविधियों के द्वारा लोगों की समस्याओं को सामने लाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई प्रकार के राजनैतिक दल उभरे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में एक दलीय व्यवस्था के प्रभुत्व का बोलबाला रहा, जिसमें 1950 से 1960 तक काँग्रेस पार्टी का दबदबा था तथा उसके बाद के काल में कई अन्य दलों का वर्चस्व देखने को मिला। यह इकाई दलीय राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलों का विकास, उनका संबंध तथा भारत में लोकतंत्र के साथ उसके संबंधों की चर्चा करती है।

1.2 राजनीतिक दलों एवं दलीय व्यवस्था का अर्थ

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल एक राजनीतिक प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। राजनैतिक दल वह संस्था है जिसमें नेताओं, अनुयायियों / कार्यकर्ता, नीतियों और कार्यक्रमों का संबंध होता है। इसके

*डॉ. दिव्या रानी, कंसलटेंट, राजनीति संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

सदस्य या तो औपचारिक होते हैं या फिर वे औपचारिक सदस्य नहीं होते हैं और इसका समर्थन करते हैं। कई प्रकार के राजनैतिक दल होते हैं। राजनैतिक दलों में नेताओं, नीतियों कार्यक्रमों एवं विचार धारा के आधार पर अंतर किया जा सकता है। राजनीतिक दल का प्रमुख सिद्धांत यह है कि वह अन्य संगठनों से अलग होता है क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। राजनैतिक दलों के विपरीत दबाव समूह, हित समूह या गैर-दलीय नागरिक समाज का उद्देश्य शक्ति या सत्ता प्राप्त नहीं करना है। लेकिन कभी-कभी ये संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यह सामान्य तरीका नहीं है। गैर-दलीय संगठन केवल किसी विशेष अवसर पर ही चुनाव लड़ते हैं। राजनैतिक दलों का व्यक्तियों, राज्यों एवं समाज के बीच महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। राजनीतिक दल, सामाजिक प्रक्रिया और नीति-निर्माताओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। ये सामाजिक समूहों के हितों से जुड़े मुददों पर वाद-विवाद और नीतियों पर प्रभाव डालते हैं।

दलीय व्यवस्था

दलीय व्यवस्था का अर्थ देश में कई राजनैतिक दलों से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित पार्टियों की संख्या के आधार पर आमतौर पर एक दलीय प्रणाली, द्वि-दलीय प्रणाली एवं बहु-दलीय प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि उनके नामों से पता चलता है, लोकतंत्र में एक दलीय, द्वि-दलीय एवं बहु-दलीय व्यवस्था होती हैं। भारत में आमतौर पर पार्टियों की पहचान उनके प्रदर्शन का स्तर और सरकार में उनकी मौजूदगी से लगाया जा सकता है। एक से अधिक दल की उपस्थिति एवं लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज की विशेषता है। कई दलों की उपस्थिति भारत में एक महत्वपूर्ण दलीय प्रणाली की विशेषता रही है। हालांकि, 1950 के बाद से भारत में पार्टी प्रणाली की संख्या में बदलाव देखने को मिला है। जैसा कि आप भाग 1.3 में पढ़ेंगे, आजादी के बाद के पहले दशक में केवल कॉंग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व या प्रभुत्व था। यह एक दलीय प्रभुत्व का युग था। लेकिन एक से अधिक दलों की अनुपस्थिति का नहीं। 1950 से 1960 के दशक की अवधि को रजनी कोठारी ने एक दल के वर्चस्व का युग बताया। इस युग के कॉंग्रेस के वर्चस्व का युग कहा जाता है। एक पार्टी के प्रभुत्व का मतलब यह नहीं था कि भारत में केवल एक ही दल था। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में कॉंग्रेस के अलावा कई अन्य दल भी मौजूद थे जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिन्न समाजवादी दल, स्वतंत्रता दल, रिप्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जन संघ इत्यादि। लेकिन, इन सबमें, कॉंग्रेस पार्टी को सभी राज्यों में उपस्थिति थी तथा इसने केन्द्र एवं राज्यों में सरकारों का भी नेतृत्व किया था। 1960 के दशक अंत में, कॉंग्रेस पार्टी का वर्चस्व कम हो गया था। 1967 के चुनावों में आठ राज्यों में इसे हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त से कॉंग्रेस के अलावा कई-गैर कॉंग्रेस पार्टियों ने केन्द्र एवं राज्यों में सरकार बनाई। इसने भारत में बहु-दलीय प्रणाली के महत्व को प्रदर्शित किया था। द्वि-दलीय व्यवस्था, केवल दो दलों के वर्चस्व को दर्शाता है। भारत में कुछ राज्यों में दो दलीय प्रणाली मौजूद है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन राज्यों में दो दलों से अधिक दल नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इन सब दलों में केवल दो दल ही अधिक प्रभावशाली हैं। ऐसी व्यवस्था में, दो दल अलग-अलग समय में सरकार बनाते हैं। एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। कुछ विद्वान, जैसे संजय पालसीकर एवं योगेन्द्र यादव पार्टियों का वर्गीकरण चुनावी ध्रुवीकरण के आधार पर करते हैं। दलीय प्रणाली का अर्थ हमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या राज्यीय दल के आधार पर नहीं करना चाहिये। ये बिल्कुल अलग हैं। दलीय प्रणाली का मतलब है दलों की संख्या तथा चुनाव में उनकी भागीदारी तथा सरकार बनाना। दलों का वर्गीकरण चुनाव आयोग द्वारा उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। चुनाव, आयोग ने भारत में तीन प्रकार के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। राष्ट्रीय दल, राज्य या क्षेत्रीय दल तथा

पंजीकृत दल। आप इकाई संख्या 2 में इन पार्टीयों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में, भारत में लगभग 2400 राजनीतिक दल हैं। जिनमें सात राष्ट्रीय दल हैं, 36 राज्य स्तरीय दल हैं, 329 क्षेत्रीय दल हैं तथा 2044 पंजीकृत या गैर पंजीकृत दल हैं।

1.3 भारत में दलीय प्रणाली एवं राजनीतिक दलों का विकास

भारत में राजनीतिक दलों का उदय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ था। उस वक्त, वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। उस समय इन दलों ने विधानसभाओं के चुनाव भी लड़े थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काँग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काँग्रेस एक महज आंदोलन था लेकिन बाद में आजादी के बाद में एक पार्टी बन गई। इसका मतलब यह है कि काँग्रेस का मकसद केवल आजादी हासिल करना नहीं था बल्कि चुनाव लड़ना एवं सरकार बनाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई वर्षों तक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ था। हालांकि, उस समय भी एक दलीय व्यवस्था नहीं थी। 1950 से 1960 के बीच हालांकि काँग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा था, अन्य दलों की स्थिति ठीक नहीं थी। उनका समर्थन भी काफी कम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तीन प्रकार की दलीय प्रणाली देखने को मिली हैं। एक दलीय प्रणाली का वर्चस्व, द्वि-दलीय प्रणाली तथा बहु-प्रणाली। आप नीचे इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

1.3.1 एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व

लगभग दो दशकों तक भारत में काँग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा था। हालांकि कई अन्य दल भी उस वक्त मौजूद थे लेकिन ज्यादातर राज्यों में तथा केन्द्र में काँग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इस प्रकार गैर-काँग्रेस पार्टीयां केवल विपक्षी पार्टीयां थीं राज्यों एवं केन्द्र में। सिवाय केरल के जहाँ पर सी.पी.आई. की सरकार थी, 1950 के अंतिम वर्ष में। जैसा कहा गया है कि काँग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी थी जिसका समर्थन देश के सभी राज्यों में था। रजनी कोठारी ने इस काल को एक-दलीय प्रभुत्व का काल कहा था। उसने यहाँ तक कहा कि यह एक काँग्रेस पार्टी न होकर काँग्रेस प्रणाली या व्यवस्था थी। काँग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चार चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। यह स्थिति लगभग 1967 तक बरकरार रही थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने काँग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इस समय तक कई राज्यों में कमोबेष भारत में एक दलीय प्रभुत्व कायम था या एक दल का वर्चस्व था।

1.3.2 द्वि-दलीय

भारत में दो-दलीय आदर्श प्रणाली नहीं है। बल्कि, यहाँ पर द्वि-ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में दो या दो से अधिक दल साथ मिलकर चुनाव-पूर्व या चुनाव-पश्चात गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं तथा वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करते हैं। ये सामान्यतौर पर दो दलों के साथ होता है जो कि आपस में धुर्वों या गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार के दो गठबंध ही आपस में चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसी व्यवस्था को ही हम द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य दोनों में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य राजनीतिक दल समान होता है जबकि उसके गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं। भारत में इस प्रकार के ध्रुवीकरण ने ही गठबंधन की राजनीति को उभरने का मौका दिया था। इसका प्रथम उदाहरण था 1967 के चुनावों में गैर-काँग्रेसी गठबंधन (सं.वि.द.) का गठन जिसने लगभग 8 राज्यों में गठबंधन किया था। उस समय में दो ध्रुव थे। जिसमें एक तरफ काँग्रेस तथा दूसरी तरफ गैर-काँग्रेसी दलों का गठबंधन जिसमें भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी, प्रजा सोसलिस्ट पार्टी और

जन संघ शामिल थे। इसका प्रथम उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी के गठन के पश्चात् सामने आया था जिसे 1977 के चुनावों में सफलता प्राप्त हुई थी। उस समय कॉग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी बन गयी थी तथा जनता पार्टी शासन करने वाली पार्टी बन गयी थी। लेकिन ये दोनों दल द्वि-दलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे ना कि द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था के क्योंकि जनता पार्टी गठबंधन की पार्टी नहीं थी। इस पार्टी का गठन पाँच अन्य दलों के विलय के बाद हुआ था जिसमें कॉग्रेस (ओ), बी.के.डी., सी.एफ.डी., जन संघ तथा स्वतंत्र पार्टी शामिल था। कॉग्रेस इसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वि था। इस प्रकार जनता पार्टी एवं कॉग्रेस पार्टी ने दो दलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया था। यह व्यवस्था 1977 से 1980 तक कायम रही जब तक कि केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन बाद में गठबंधनों में द्वि-दलीय न होकर द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था का अनमन हुआ था। 1990 के बाद भारत में कई प्रकार के गठबंधन हुए। प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कि कॉग्रेस और बी.जे.पी. की असफलता के कारण तथा इन दलों द्वारा चुनाव में बहुमत हासिल न करने के कारण कई अन्य छोटे-छोटे दलों को एक साथ लाने का मौका दिया। 1996 में ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जब 13 पार्टियों ने मिलकर ‘संयुक्त मोर्चा’ बनाया। इसी प्रकार, 1999 में लोकतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) बनाया गया जिसमें बी.जे.पी. प्रमुख घटक दल था। 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में केन्द्र में गठबंधनों की सरकार बनी थी जिसमें कई दल शामिल थे। लेकिन 2004 के बाद गठबंधन सरकार में एक प्रमुख दल शामिल था जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2004 और 2009 में कॉग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार थी जिसमें कॉग्रेस के अलावा अन्य कई दल शामिल थे तथा 2014 में बी.जे.पी. के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी थी उसमें भी कई दल शामिल थे। राज्यों में भी इसी प्रकार का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द-गिर्द गठबंधन बनाये गये थे। उदाहरण के लिए उड़िसा में बी.जे.पी. एवं कॉग्रेस के बीच मुकाबला, जम्मू-कश्मीर में पी.डी.पी. और नेशनल कॉग्रेस तथा केरल में वाम-मोर्चा और कॉग्रेस के बीच मुकाबला इत्यादी।

1.3.3 बहु-दलीय एवं बहु-ध्रुवीय/दलीय/व्यवस्था

1967 से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है। चुनावों में कॉग्रेस की पराजय तथा पार्टी में हुए विभाजन ने कॉग्रेस को कमजोर बना दिया था। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों के उभार के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत में इसने बहु-दलीय व्यवस्था के उदय का रास्ता बनाया। हालांकि बहु-दलीय प्रणाली कॉग्रेस के वर्चस्व के समय में भी थी लेकिन उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में नगण्य थी। बहु-दलीय व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण समाज में हो रहे बदलाव का भी असर था। समाज में नये मुददों का उभार तथा क्षेत्रीय नेताओं का उदय भी इसी दिशा में प्रमुख कारण था। इन नेताओं ने क्षेत्रीय दलों का गठन किया था। कुछ प्रमुख नेताओं के उदय जैसे यू.पी. में चरण सिंह, हरियाणा में राव विरेन्द्र सिंह, उड़िसा में बीजू पटनायक तथा महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने 1960 और 1970 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया था। उसके बाद के काल में इनकी संख्या में इजाफा होता गया और उत्तर भारत में बी.एस.पी. एवं एस.पी. का गठन, पश्चिम बंगाल में टी.एम.सी. का गठन, भी प्रमुख उदाहरण है। बहु-दलीय प्रणाली भारत में केन्द्र एवं राज्य दोनों में स्थित है। ये दल भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में बहु-दलीय व्यवस्था का प्रमुख आधार सिर्फ उनकी विचारधारा एवं नीतियां नहीं रही है परंतु राजनीतिक लाभ भी रहा है जहाँ पर एक प्रमुख पार्टी इसकी प्रमुख मोड़ल एजेंसी होती है। इस तरह का गठबंधन बहु-दलीय व्यवस्था का प्रतीक है। बहु-दलीय व्यवस्था बहु-ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में भी जानी जाती है।

अभ्यास प्रश्न 1

राजनीतिक दल, दलीय
व्यवस्थाएं एवं लोकतंत्र

- नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
- ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।
- 1) राजनीतिक दल एवं दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए।
-
.....
.....
.....

- 2) भारत में पार्टी या दलीय व्यवस्था के विकास का संक्षिप्त में विश्लेषण कीजिए।
-
.....
.....
.....

1.4 भारत में राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र

राजनीतिक दल एवं लोकतंत्र का नजदीकी संबंध है। यह संबंध लोकतंत्र के विभिन्न मानकों में प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे, नीति-निर्माण में लोगों की भागीदारी, उनकी लामबंदी, उनके अंदर राजनीतिक चेतना, उनके मुद्दों पर बहस तथा उनकी माँगों को पूरी करने का संकल्प। जनता नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता करती है। उनकी सहभागिता राजनीतिक दलों द्वारा सरकार में शामिल होकर पूरी होती है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करती है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये उम्मीदवार ही लोगों के लिए नीति-निर्माण में सहायता करते हैं। ये उम्मीदवार ही संसद सदस्य एवं विधान-सभा सदस्य के तौर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल ही सही तौर पर निर्णय-निर्माण में भूमिका निभाने का उपकरण होते हैं। यह संभव नहीं कि सभी लोग चुनाव में भागेदारी करे क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है। वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कि वे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसमें भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा भी लोग अपना प्रतिनिधि गैर-राजनीतिक व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। इन उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जाना जाता है। लेकिन वास्तव में राजनीति दलों के उम्मीदवार ही सही तौर पर प्रतिनिधि माने जाते हैं बजाय स्वतंत्र उम्मीदवारों के राजनीतिक दल लोगों को आंदोलनों में लाने के लिये भी लामबंद करते हैं। लोकतंत्र में, विपक्षी दलों का यह दायित्व है कि वे सरकार की नीतियों की आलोचना करे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ विधायी निकायों में भागीदारी करते हैं तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वे जनता के प्रतिनिधियों के बीच बहस से निकलती है जो सामान्य तौर पर राजनीतिक दलों के व्यक्ति होते हैं। राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना लाने में

भी अपना योगदान देते हैं। वे लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराते हैं। अध्ययनों के अनुसार 1990 में कई राजनीतिक दलों के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किये थे जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं जैसे दलित, ओ.बी.सी., महिलाएँ इत्यादि। जैफरलों और संजय कुमार के अनुसार, चुनाव में लोगों की भागेदारी बढ़ रही है। वे लोगों की बढ़ती भागीदारी को ‘राइज आफ प्लेबियन’ कहते हैं। आशुतोष पार्ष्य के अनुसार भारत में सशक्त लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक चेतना बढ़ रही है। योगेन्द्र यादव के अनुसार भारत में एक “प्रजातांत्रिक उथल-पुथल” (Democratic Upsurge) हुआ है। ये तर्क चुनावी राजनीति के बारे में हैं जो कि और भी लोकतांत्रिकरण हो गयी है। जैसा कि सब जानते हैं राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इससे यह पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पिछले तीन दशकों की स्थिति 1950 और 1960 की तुलना में काफी अलग है। उस समय समाज के प्रभुत्व वर्ग ही राजनीति में अपना दबदबा रखता था। लेकिन, दलीय व्यवस्था में बदलाव के कारण तथा अनेक राजनीतिक दलों के उदय के बाद दलित पिछड़े वर्गों में चेतना जागृति हुई है। इसने लोकतंत्र को पिछले कुछ दशकों में और मजबूत किया है।

अभ्यास प्रश्न 2

- नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।
- 1) राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यवस्था के लोकतंत्र के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए।

1.5 सारांश

लोकतंत्र में संस्थाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। संस्थाओं के द्वारा सरकार एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन किया जाता है। राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख भाग हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत में बहु-दलीय व्यवस्था होने के कारण, राजनीतिक दल विविधता एवं बहुलता को संजो कर रखते हैं। खासकर 1970 के बाद, राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है। राजनीति के लोकतांत्रिकरण के कारण समाज के सभी वर्गों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला है। इसने देश को और लोकतांत्रिक बनाया है एवं निचले तबकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसने लोकतंत्र को भी नई परिभाषा प्रदान की है। राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण नए राजनीतिक दलों तथा केंद्र में गठबंध की राजनीति के साथ हुआ।

1.6 संदर्भ

दत्ता, राजश्री (2011) मेजरिंग पार्टी सिस्टम इन इंडिया: एन एनालिसिस एट दी नेशनल एंड ए दी लेवन ऑफ स्टेट्स 1952-2009, द इंडियन जनरल ऑफ पोलिटिकल साइंस, वोल्यूम (72) 3 : 663-678.

हसन, जोया (एडिटेड) 2002, पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया, नई दिल्ली,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

जैफरलों, क्रिस्टोफ और संजय कुमार (2009) राइज ऑफ दी प्लेबियन्स, द चेंजिंग फेस
ऑफ इंडियन लेजिसलेटिस असेंबलिज, नई-दिल्ली, राउटलेज।

कोठारी, रजनी (1970) पोलिटिक्स इन इंडिया, नई दिल्ली, ओरियन्ट लॉगमेन।

मेनर, जेम्स (2002) पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। इन द ऐडिटेड बुक, पार्टी एंड पार्टी
पोलिटिक्स इन इंडिया, बाई जोया हसन नई दिल्ली, आक्सफार्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पॉल ब्रास (1990), पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेन्डेंस। क्रॉनिक यू.के., कॉन्विज
यूनिवर्सिटी प्रेस।

शेस, गिलबर्ट शल्फ (1954), डेमोक्रेसी, पार्टी एंड पोलिटिक्स इथिक्स, वोल्यूम 64 (1),
100-125.

वार्ष्य, आशुतोष (2003), बेटिल हॉफ वन : इंडियाज इम्प्रोबेबिल डेमोक्रेसी, पेंगविन /
वाईकिंग।

यादव, योगेन्द्र एंड पालशिकर (2009), “फ्रोम डेमोक्रेसी टू गर्वनेन्स: पार्टी सिस्टम एंड
एलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इन इंडियन स्टेट्स” जरनल आफ इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल
इकनॉमी 15 (1-2) पृ. 5-44।

1.7 अभ्यास प्रश्न के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

- 1) लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण ऐजेंसी है जिसके माध्यम से
राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएँ होती
हैं जैसे कि संगठन नेतृत्व समर्थन, सामाजिक आधार पर कार्यक्रम, नीतियां, इत्यादि।
दलीय व्यवस्था वह है जहाँ पर कई प्रकार राजनीति दल उपस्थित हों। उनकी संख्या
के आधार पर हम दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण एक दलीय, द्वि-दलीय एवं बहु-दलीय
कर सकते हैं।
- 2) राजनीतिक दलों का भारत में विकास के तीन चरण है। प्रथम चरण 1950 से 1960
इशकों के बीच का है जिसे रजनी कोठारी ने दल एकमात्र वर्चस्व का बताया है। इस
चरण में काँग्रेस पार्टी एकमात्र वर्चस्व वाली पार्टी थी। विपक्षी पार्टिया भी मौजूद थी
लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित था। काँग्रेस ने केन्द्र एवं राज्यों में अपनी सरकारों
का नेतृत्व किया था। दूसरा चरण, 1970 के दशक का है जिसमें कई प्रकार के
राजनीतिज्ञ दलों का उदय हुआ है जो कि पहचान की राजनीति और पिछड़े वर्ग,
नृजातीय समूह और अल्पसंख्यकों के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के
फलस्वरूप आये। यह एक द्वि-दलीय या द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था का युग (समय) था।
तीसरा चरण 1980 के आखिरी वर्षों के बाद का है जब गठबंधन की राजनीति का
उदय हुआ था। इस चरण में बहु-दलीय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में
उभर कर सामने आयी जो कि भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है।

अभ्यास प्रश्न 2

- 1) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण संस्थानें हैं। इसका सकारात्मक असर यह है कि इसने समाज के निचले तबकों को एक मंच प्रदान किया है ताकि वे आगे आ सकें। इसने पहचान की राजनीति को भी बढ़ावा दिया है। कई अध्ययन भी यह मानते हैं कि इसने कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाया है तथा लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। दलों की संख्या में इजाफा यह दर्शाता है कि इसने राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया है। राजनीतिक दल लोगों को लामबंद करते हैं, उनकी मांगों को अपने कार्यक्रमों और मेनीफेस्टो में शामिल करते हैं; इन्हें राजनीतिक तौर पर जागृत करते हैं तथा उनकी माँगों को पूरा करने के लिए चर्चा करते हैं।



इकाई 2 भारत में राजनीतिक दल*

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 परिचय
- 2.2 भारत में राजनैतिक दलों के प्रकार
 - 2.2.1 राष्ट्रीय दल
 - 2.2.2 राज्य दल/क्षेत्रीय दल
 - 2.2.3 पंजीकृत दल/गैर-मान्यता प्राप्त
- 2.3 राष्ट्रीय दल
 - 2.3.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) या कांग्रेस (आई)
 - 2.3.2 भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
 - 2.3.3 बहुजन समाज पार्टी (बसपा)
 - 2.3.4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम))
 - 2.3.5 राष्ट्रवादी कांग्रेस दल (एनसीपी) तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दल (टीएमसी)
- 2.4 राज्य दल/क्षेत्रीय दल
 - 2.4.1 एम.पी, वी.के.डी./वी.एल.डी., और जनता दल (यू)
 - 2.4.2 डी.एम.के, ए.आई.डी.एम.के. तथा टी.डी.पी.
 - 2.4.3 ए.जी.पी
 - 2.4.4 आम आदमी पार्टी (आप)
 - 2.4.5 विरोमणि अकाली दल (एस.ए.डी.)
 - 2.4.6 शिव सेना
- 2.5 पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल
- 2.6 सारांश
- 2.7 संदर्भ
- 2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह कर सकेंगे :

- राष्ट्रीय, राज्य क्षेत्रीय दलों को परिभाषित;
- भारत के कुछ प्रमुख दलों की भूमिका का विश्लेषण; और
- एक नए दल के गठन के पीछे के कारण की व्याख्या।

2.1 प्रस्तावना

इकाई 1 में आपने राजनीतिक दल के अर्थ के बारे में पढ़ा है। भारत में कई दल हैं। वे अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर कार्य करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के तीन

*डॉ. दिव्या रानी, कंसलटेंट, राजनीति संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

प्रकार के राजनीतिक दलों को वर्गीकृत किया है: राष्ट्रीय, राज्य / क्षेत्रीय और पंजीकृत दल। वर्तमान में भारत में लगभग 2300 राजनीतिक दल हैं। जिनमें सात राष्ट्रीय दल, 36 राज्य मान्यता प्राप्त दल, 329 क्षेत्रीय दल और लगभग 2044 पंजीकृत / अपरिचित दल शामिल हैं। अपने चुनाव निष्पादन के आधार पर इन दलों की संख्या बदलती रहती है। और इस इकाई में आप विभिन्न प्रकार के दलों के बारे में पढ़ेंगे।

2.2 भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार

इकाई के इस उपर्युक्त डमें राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य / क्षेत्रीय और पंजीकृत दलों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए मापदंडों की व्याख्या की गई है।

2.2.1 राष्ट्रीय दल

निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :

- i) उसे कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा में कम से कम दो प्रतिशत सीटें प्राप्त करनी होती है;
- ii) आम चुनाव में पार्टी को छह प्रतिशत वोट मिलें हों कम से कम चार लोकसभा सीटें जीतें;
- iii) चार या उससे अधिक राज्यों में दल को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

2020 में भारत में सात राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी पार्टी (सी.पी.आई) एम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी) और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस।

2.2.2 राज्य दल / क्षेत्रीय दल

चुनाव आयोग, क्षेत्रीय दल के संकल्प का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय में उन्हें राज्य दल की धारणा का उपयोग करते हैं। तथापि शैक्षणिक साहित्य में और सामान्य भाषा में राज्य और क्षेत्रीय दलों को एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है। परन्तु निर्वाचन आयोग और शैक्षणिक बहस के मामले में राज्यों और प्रादेशिक दलों की परिभाषा भिन्न है। चुनाव आयोग कई राज्यों में अपने चुनावी प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय दल की पहचान करता है। शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट क्षेत्रों या राज्यों में अपनी नीतियों, गतिविधियों, सहायक आधार और मार्गदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय / राज्य पार्टी को परिभाषित करता है, निर्वाचन आयोग के अनुसार जिस दल को राज्य पार्टी माना जाए, उस दल के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :

- i) उसे कम से कम पाँच वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि में होना चाहिए।
- ii) उसे आम चुनावों में चार प्रतिशत तथा राज्य चुनावों में तीन प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ होना चाहिए।
- iii) इसके अलावा इसमें छह प्रतिशत वोटों का समर्थन होना चाहिए।

- iv) किसी इकाई को राज्य पार्टी का दर्जा तब ही दिया जा सकता है भले ही वह लोकसभा में या विधानसभा में कोई स्थान नहीं प्राप्त किया हो यदि वह पूरे राज्य में डाले गए कुल मतों में से कम से कम आठ प्रतिशत जीत होनी चाहिए।

2020 में भारत में ऐसे 36 राज्य/क्षेत्रीय दल हैं जो अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ मान्यता प्राप्त दलों में आम आदमी पार्टी (आप), अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेन्न कझगम (ए.आई.ए.डी.एम.के), द्रविड़ मुन्नेत कझगम (डी.एम.के), बीजू जनता दल (बी.जे.डी.), जनता दल (संयुक्त) (जे.डी.यू) राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.), समाजवादी पार्टी (एस.पी.)।

2.2.3 पंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त दल

पंजीकृत दल वह दल होता है जिसे न तो राज्य माना जाता है और न ही राष्ट्रीय दल माना जाता है परन्तु उसका पंजीकरण निर्वाचन आयोग के पास होता है। इसे अपरिचित दल भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 2000 से अधिक पंजीकृत दल हैं।

2.3 राष्ट्रीय दल

सात राष्ट्रीय दलों से दो दलों ने कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन किया है। अधिकतम भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विभिन्न समय पर राज्यों की सूची। आजादी से पहले दो दशकों तक भारत में कांग्रेस पार्टी अकेली प्रभावशाली पार्टी रही। वस्तुतः भारत के अधिकांश भागों में इसे आधार प्रदान करने के कारण रजनी कोसरी ने 1950-1960 के दशकों की अवधि को एक पार्टी के वर्चस्व की अवधि बताया। कांग्रेस का प्रभुत्व वर्ष 2010 के दशक में भाजपा स्वतंत्रता के पश्चात दो दशकों में कांग्रेस जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है।

2.3.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (आई)

1885 में भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। जैसा कि पहली इकाई में कहा गया है आम तौर पर यह माना जाता है कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक आंदोलन था। यह वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद एक राजनीतिक पार्टी बन गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत में चुनाव करना या अपने प्रभुत्व के दौरान कांग्रेस ने सभी जाति समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सामाजिक समूहों का समर्थन किया। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने समाज में परिवर्तन के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी नीतियों की शुरुआत की इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति भूमि सुधार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शामिल थे। हालांकि इन नीतियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने कांग्रेस से समाज के बड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकी। 1960 के दशक में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के विरुद्ध अनेक राज्यों में असंतोष की भावना फैल गयी। इसके परिणाम स्वरूप, कांग्रेस ने 8 राज्यों में 1967 के विधानसभा चुनावों में हार के पश्चात गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई इससे भारत की दलीय प्रणाली में कांग्रेस की प्रमुखता समाप्त हो गई। 1969 में कांग्रेस को दो दलों में बाँटा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) और कांग्रेस (ओ) थे, जिसके नेतृत्व कामराज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (रिविविजिशन), और कांग्रेस (आर) जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया लेकिन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने 1971 के आम चुनावों में सर्वाधिक सीट जीतने वाली

पार्टी के रूप में उभरी। 1971 के आम चुनावों में, तथा लोकसभा चुनावों में 518 सीटों में से 352 सीट पर जीत दर्ज की। जैसा कि आपने इकाई-1 में पढ़ा है। जब कांग्रेस पार्टी का दौर था तब 1960 के दशक के अंत से अनेक राज्यों में उभरते हुए क्षेत्रीय दलों और नेताओं में चुनौती दी। और 1970 में अंत में केन्द्र में जनता पार्टी ने इसे चुनौती दी। कांग्रेस 1980 के दशक के दौरान एक मजबूत राजनैतिक शक्ति बनी हुई थी। यद्यपि आने वाले दशकों में हालांकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही, लेकिन एक प्रमुख पार्टी का दर्जा उसने गंवा दिया इसका प्रभाव क्षेत्रीय गठबंधन (यूपीए) के रूप में बना रहा है।

2.3.2 भारतीय जनता दल (बी.जे.पी)

भारतीय जनता पार्टी की जड़ों का पता भारतीय जन संघ से लगाया जा सकता है। यहाँ दी गई भारतीय जन संघ की स्थापना 1951 में हिन्दूओं की राजनैतिक शाखा के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जन संघ / भारतीय संघ (बी.जे.एस) की स्थापना एक विख्यात वकील श्यामी प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जन संघ ने 1960 के दशक में भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छा खासा समर्थन प्राप्त किया। जैसा कि इकाई 1 में बताया गया है कि 1977 में इसका विलय चार अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में हो गया। जनता पार्टी के खंड के विघटन के बाद भारतीय जन संघ 5 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नाम से एक अलग नाम वाली पार्टी के रूप में उभरा। इस पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1980 के दशक में भाजपा एक मामूली सी स्थिति में भी, जहां राजनैतिक उपस्थिति हिन्दी प्रदेशों में कुछ ही राज्यों तक सीमित थी। परन्तु, नए राज्य क्षेत्र और नए मित्र देशों की खरीद ने इसे आम जनता के साथ भारत की प्रमुख राजनैतिक ताकत में बदल दिया, जिसके समर्थक पूरे देश के लोग हैं। कांग्रेस के पतन के साथ ही भाजपा का विस्तार हुआ। लोकसभा के राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सीटों की वृद्धि हुई। 1984 में इसकी 2 सीटों से बढ़कर 2019 में लोकसभा चुनावों में 303 सीट हो गई। जब 2014 में लोकसभा चुनाव में इसकी वृद्धि हुई। जिनमें इसने 282 सीटें जीत ली थी। उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, तीन तलाक का उन्मूलन आदि जैसे मुद्दों से जुटाने के द्वारा, जनसर्वथन का मार्ग प्रषस्त किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए) के प्रमुख सदस्य के रूप में भाजपा 2014 से भारत में केन्द्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। तथा 2014 और 2018 के मध्य एन.डी.ए गठबंधन की सरकारें 8 राज्यों से बढ़कर 20 राज्यों में बनीं। 2019 में, 11 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत है।

2.3.3 बहुजन समाज पाटी (बसपा)

बहुजन समाज भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह उत्तर भारत में एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। उत्तर प्रदेश में यह पार्टी चार बार सरकार बना चुकी है और इस पार्टी की नेता (अध्यक्ष) मायावती को उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चार बार मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि उसने बहुजन समाज या बहुसंख्यक समाज के बीच एक आधार का सहारा लिया। और दलित, आदिवासी समुदाय, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक (ईसाई, सिख, मुसलमान) जैसे दल (बी.एस.पी) की स्थापना 14 अप्रैल, 1984 को दलित नेता कांशीराम ने की थी। बी.एस.पी. बनाने से पहले कांशीराम ने सीमांत समुदाय को संगठित किया। 1978 में डी.एस.4 (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) जैसी संस्थाओं की स्थापना की। बैयसेक (बी.ए.एम.सी.ई.एफ) को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का सहारा मिला। बी.एस.पी. का मुख्य लक्ष्य समाज में उपेक्षित समुदायों तथा बहुजन समाज को सशक्त बनाना था। बी.एस.पी के सिद्धान्त के नारे इस जोश को रेखांकित करते हैं। ये नारे थे:

“मत हमारा, राज तुम्हारा (उच्च जाति) नहीं चलेगा नहीं चलेगा”, तथा “मत से लेगें पी.एम./सी.एम और आरक्षण से एस.पी./डी.एम।” बी.एस.पी. ने चुनावी मोर्चे पर तेजी से प्रगति की है। 1996 तक बीएसपी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था। बी.एस.पी. प्रमुख मायावती पहली बार 1995 में उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती की अध्यक्षता में राजनीतिक शासनों में बी.एस.पी. वाली सरकार ने कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। अंबेडकर गाँव कार्यक्रम (विलेज प्रोग्रेम) इन कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंबेडकर गाँवों के कार्यक्रमों के तहत बीएसपी सरकार ने अंबेडकर गाँवों में कल्याण नीतियाँ शुरू की। अंबेडकर गाँवों में अनुसूचित जातियों की काफी संख्या थी। बी.एस.पी. सरकार ने सामाजिक उद्देश्यों या सीमांत समुदायों में साथ जुड़े प्रतीकों, नायकों तथा प्रतीकों को सांस्कृतिक मान्यता प्रदान की।

2.3.4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – मार्क्सवादी पार्टी (सी.पी.आई) एम.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। यह दल प्रथम लोकसभा (1952-1957) की मुख्य (प्रमुख) विपक्षी पार्टी बना। इसके एजेंडे में महिलाओं की सामाजिक समानता, निजि स्वामित्व वाले उधमों, का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार छोटी (पिछड़ी) जातियों के लिए सामाजिक न्याय तथा, प्रदर्शन और हड़तालों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन का अधिकार जैसी मांगें शामिल हैं। 1957 के चुनाव में सी.पी.आई. केरल विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली विश्व की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। इस चुनाव में मिली जीत के कारण ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री बने। भारत में यह पहली गैर-कांग्रेसी सरकार भी थी। भारत में प्राप्त स्वतंत्रता की प्रकृति, भारतीय राज्य की प्रकृति और सोवियत संघ तथा चीन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में सी.पी.आई. के अंदर बहुत मतभेद थे। इनके कारण नेताओं का एक दल सी.पी.आई. से बाहर आया और उन्होंने 1964 में एक अलग नाम से पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और सी.पी.आई. (एम.), जिसका एक प्रमुख नेता था जिसका नाम नम्बूदरीपाद था। साम्यवादी दल राज्य की प्रकृति को विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं और भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में दोनों पक्षों की समझ में अंतर था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ में भारतीय राज्य राष्ट्रीय बुर्जुआ पूँजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और सी.पी.आई. (एम.) भारतीय राज्य बर्जुआ, जर्मांदारों और विदेशी पूँजी के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है भारत के तीन राज्य पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा इसका सबसे बड़ा सहारा है। सन् 1957 में नम्बूदरीपाद की पहली कम्युनिस्ट सरकार के अलावा, 1977 से अब तक उन्होंने कई वामपंथी और लोकतांत्रिक दलों के साथ मिलकर कई बार सरकार बनाई। परंतु पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इन दलों के समर्थन में धीरे-धीरे कमी आई। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) और त्रिपुरा में भाजपा की इनकी स्थिति में गिरावट आयी है। ये सीपीआई और सीपीआई (एम.) की सदस्यता संरचना होती है तथा भाजपा और डी.एम.के कैडर आधारित पार्टियां हैं।

2.3.5 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी)

एन.सी.पी. की स्थापना 25 मई 1999 को शरद पवार, पी.ए. संगमा तथा तारिक अनवर द्वारा हुई थी। पी.ए. संगमा ने 2012 में पार्टी छोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित होन पर, इन तीनों से इस दल का निर्माण किया क्योंकि, तीनों नेताओं को सोनिया गांधी

का नेतृत्व पसंद नहीं था क्योंकि वे उन्हें विदेशी मानते थे। यह दल खुद को एक सहस्राब्दी पार्टी “मिलेनियम पार्टी” मानते थे जो एक आधुनिक और प्रगतिशील अभिविन्यास वाला दल है, जो समग्र लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के जरिए राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखता है। शरद पवार इसके प्रभावशाली नेता हैं जिसका महाराष्ट्र में काफी लोगों का समर्थन प्राप्त है। यू.पी.ए. I और यू.पी.ए. II के दौरान, यह पार्टी कांग्रेस के साथ थी।

तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी, 1998 को ममता बनर्जी द्वारा हुई थी। इस पार्टी के बनाने से पहले, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में काफी सक्रिय थी और वो 26 सालों से कांग्रेस से जुड़ी थी। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल के लोगों का समर्थन है, जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। पश्चिम बंगाल के अलावा, केरल, मणिपूर, त्रिपूरा, असम, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के विधान सभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने भागेदारी की थी।

अभ्यास प्रश्न 1

- नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।
- 1) भारत में चुनाव, आयोग द्वारा वर्णित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रकार क्या हैं?

- 2) बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये।

2.4 राज्य/क्षेत्रीय दल

1960 के दशक से लेकर अब तक क्षेत्रीय राजनैतिक दल अनेक राज्यों की राजनीतिक में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। वस्तुतः कई अवसरों पर वे संयुक्त राजनीति के माध्यम से राष्ट्रीय सरकारों को चलाने में सहभागी रहे हैं।

उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में प्रादेशिक या क्षेत्रीय दलों के उद्घव का कोई एक स्वरूप नहीं है। क्षेत्रीय दल समाज में कुछ घटनाक्रम का प्रतिबिंब है। ये घटनाक्रम भाषाई राज्य का निर्माण कांग्रेस प्रणाली का पतन, असमान आर्थिक विकास, लाम्बदी, जातीयता, राजनीति में नये गुटों का प्रदेश तथा पहचान की राजनीति इत्यादि हैं। इन पार्टियों का उदय उत्तर से दक्षिण तक अलग-अलग रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय पहचान

और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें उनकी संस्कृति, सामाजिक समूह, विकास का तरीका, नेतृत्व, लामबंदी का तरीका तथा अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का उदय तथा उनका समर्थन आधार वर्गों की सामाजिक प्रकृति एवं परिवर्तन को इंगित करता है। भूमि सुधारों का प्रभाव, 1950-1960 के दशक की हरित क्रांति, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण, इन सबने क्षेत्रीय नेताओं को उभरने का मौका दिया खासकर उत्तर भारत में। इनमें प्रमुख नेता हैं जैसे चरण सिंह, कर्पुरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। उन्होंने कई क्षेत्रीय दलों का गठन किया जैसे, बी.के.डी., बी.एल.डी., एल.डी., एस.पी., आर.जे.डी., जे.डी. (यू) इत्यादि। इन पार्टियों ने किसानों की माँगों एवं पिछड़े वर्गों की माँगों को प्रमुखता से उठाया। इन पार्टियों ने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण को लागू करवाया विशेषकर मंडल आयोग को लागू करके जिसने केंद्र में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। इन पार्टियों का नेतृत्व भी इन्हीं पिछड़ी जातियों के एवं वर्गों के पास था। भारत में इस प्रकार की 36 मान्यता प्राप्त पार्टियों राज्यों में मौजूद हैं। इस अखंड में, आप इन दलों के कार्यक्रमों, नेतृत्व, सामाजिक आधार लामबंद का तरीका, उनकी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे।

2.4.1 एस.पी., बी.के.डी./ बी.एल.डी तथा जनता दल (यूनाइटेड)

समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय जनता दल बिहार और यू.पी. में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया की उपज है तथा दोनों पार्टी के नेताओं ने जे.पी. आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में उन्होंने अपना दल गठित कर लिया एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि बन गये। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में पिछड़े वर्गों के अलावा मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला था। लाल प्रसाद जो कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में पिछड़े वर्गों के अलावा मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला था। लालू प्रसाद जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जनक, पिछड़ी जातियों की पहचान एवं उनके सम्मान की सम्मान की जिंदगी पर बल दिया।

2.4.2 डी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के. तथा टी.डी.पी.

तीन राजनीतिक दल - डी.एम.के., ए.आई.डी.एम.के. तथा टी.डी.पी. भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों क्षेत्रीय दलों के उदाहरणों में आते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.) तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन में से विकसित हुआ सिजका उद्देश्य द्रविड़ों अथवा गैर-ब्राह्मण को आत्म सम्मान दिलाना था। बाद में 1972 में डी.एम.के. का भी विभाजन हो गया और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था ए.आई.ए.डी.एम.के। यद्यपि तमिलनाडु में अनेक राजनीतिक दल हैं, डी.एम.के. तथा ए.आई.डी.एम.के. उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। ये दोनों दल राज्य में सरकारें बनाते रहे हैं। डी.एम.के. सत्ता में होता है तो ए.आई.डी., ए.डी.एम. के विरोधी होता है। तथा जब ए.आई.डी.एम. के सत्ता में होता है तो डी.एन. के विरोधी होता है। डी.एम.के. ने 1967 में कॉंग्रेस को पराजित करके राज्य में अपनी सरकार बनायी और यह पहली सरकार थी। 1977 के चुनावों में डी.एम.के. की हार हुई तथा ए.आई.ए.डी.एम.के. की जीत हुई। इस प्रकार 1970 के दशक से लेकर आज तक इन्हीं दोनों पार्टियों ने राज्य की राजनीति में अपना प्रभुत्व कायम किया है। आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) सक्रिय है।

इसका का गठन 1982 में तेलगू अभिनेता एन.टी. रामाराव ने किया था। इस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य था तेलगू गौरव को पुनः प्राप्त करना जो कि कॉंग्रेस के शासन में खो गया था क्योंकि आंध्रप्रदेश की राजनीति में उस वक्त तक कॉंग्रेस का ही दबदबा रहा था। टी.डी.पी. ने प्रमुख रूप से इन मुद्दों को उठाया जैसे - भूमि सुधारों को लागू करना,

शहरी आय पर रोक, सस्ते दामों पर चावल मुहैया कराना तथा अन्य लुभावने मुददे भी शामिल थे। एन.टी. रामाराव की मृत्यु के पश्चात् उनका दामाद चंद्रबाबू नायडू टी.डी.पी.ऋ का मुखिया बन गया। 1995 में चंद्रबाबू नायडू आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गये थे। टी.डी.पी. का समर्थन किसानों एवं कामा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद टी.डी.पी. का आधार सिकुड़ कर आंध्रप्रदेश तक ही सीमित रह गया है। यह रायलसीमा और आंध्रप्रदेश दोनों तक सीमित है। टी.डी.पी. को प्रमुख चुनौती अन्य क्षेत्रीय पार्टी वाई.एस.आर. (कॉन्ग्रेस) द्वारा मिली है। 2019 के विधान सभा चुनावों में इसी पार्टी ने टी.डी.पी. को बुरी तरह पराजित किया और इसके नेता जगनमोहन रेडी आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

2.4.3 ए.जी.पी.

असम गण परिषद का गठन 1985 में किया गया था। यह आस्म (ऑल असम स्टूडेंट यूनियन) के तौर पर राज्य में काफी सक्रिय रही थी। आस ने असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर 1979 से 1985 तक आंदोलन चलाया, जिसमें और कानूनी रूप से रह रहे। शरणार्थियों विशेषकर बाँग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ यह आंदोलन था। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब आसू और केन्द्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ इस समझौते के अनुसार जो विदेशी 31 मार्च 1977 को असम में आये उन्हें बाहर भेजा जायेगा, उन्हें मतदाता सूची से निकाला जायेगा एवं भारत से बेदखल किया जायेगा। इस समझौते के पश्चात् आसू भारत से बेदखल किया जायेगा। इस समझौते के पश्चात् आसू और असम गण संग्राम परिषद में मिलकर ए.जी.पी. का गठन किया। इसका मुख्य मकसद था चुनाव में भाग लेना और सरकार बनाना। ए.जी.पी. ने 1986 में चुनाव लड़ा तथा चुनावों में इसे भारी जीत मिली एवं इसके नेता प्रफुलकुमार महांता असम के मुख्यमंत्री बने जिन्होंने विदेशियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ए.जी.पी. ने प्रफुल कुमार महांता के नेतृत्व में असम में दो बार सरकार बनाई थी।

2.4.4 आम आदमी पार्टी (आप)

आम आदमी पार्टी (आप) का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद हुआ था। यह आंदोलन अन्ना हजारे ने 2011 में चलाया था जिसमें मध्यम वर्ग ने जाति एवं भाषा को दरकिनार करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अरविन्द केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के जनक थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर सामने आये। आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। क्योंकि यह विचारधारा पर आधारित नहीं है तथा यह किसी सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन को प्रतिबंधित नहीं करती है। आम आदमी पार्टी ने दो बार दिल्ली में सरकार बनाई 2013 एवं 2015। इसने 2015 में हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी जब इसने 70 में से 67 सीटें जीत थी। 2020 के विधान सभा चुनाव में इसने दिल्ली की 62 सीटें जीती थी।

2.4.5 शिरोमणी अकाली दल

शिरोमणी अकाली दल सिख आंदोलन की उपज है जो कि 1950 में गुरुद्वारों में महन्तों के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के चलते सरकार ने 1925 में एक कानून पारित किया जिसमें गुरुदारों का नियंत्रण और प्रबंध शामिल था। इस कानून के द्वारा गुरुदारों का नियंत्रण एक प्रबंध सांमती को दिया गया जिसे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस.जी.पी.सी.) के नाम से जाना जाता है। अकाली दल ने इस समिति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। इसने सिख समुदायों के हितों पर अमल

करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व थी। इसने ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इसने पंजाबी सूबा के गठन की माँग की थी, तथा 1966, नवम्बर में केन्द्र सरकार ने पंजाब राज्य का गठन किया जिसमें सिख समुदाय बाहुल्य में है तथा हरियाणा को इससे अलग किया गया। अकाली दल पंजाब के लोगों की माँगों के लिये उन्हें लामबंद करती आ रही है। उसके प्रमुख मुद्दों में शामिल है जैसे - पंजाब को पूर्ण क्षेत्रीय स्वायत्ता प्रदान की जाये, किसानों के हितों की रक्षा की जाये, नदियों के जल का बंटवारा किया जाये। तथा अमृतसर के पवित्र शहर घोषित किया जाये। 1980 के दशक से, अकाली दल को भी विभाजन का सामना करना पड़ा है जिनमें प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में यह पार्टी आज की पंजाब की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। यह एन.डी.ए. गठबंधन का भी हिस्सा रही है तथा अटल बिहारी वाजपेयी एवं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इसकी भागीदारी रही।

2.4.6 शिव सेना

शिव सेना का समर्थन और गतिविधि महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित हैं। इसकी स्थाना, 1966 में बाल ठाकरे के द्वारा की गयी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मराठी लोगों की अस्मिता की रक्षा करना था या फिर 'मराठी मानुष' की रक्षा करना जिसमें मराठी भाषा, संस्कृति, आर्थिक मुद्दे, तथा महाराष्ट्र राज्य के हित को रक्षा करना शामिल हैं। क्षेत्रीय माँगों के अलावा इसने हिन्दू अस्मिता का भी मुद्दा जोर-धोर से उठाया। शिव सेना में अपनी गतिविधि 1960 के दशक में शुरू की गई थी। इसका मानना था कि गैर-मराठी लोगों ने खासकर दक्षिण भारतीय लोगों ने मराठी लोगों पर अपना कब्जा कर लिया है तथा वे आर्थिक अवरों का फायदा उठा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कई तमिलों को मुंबई छोड़कर जाना पड़ा था। 1970 के दशक में, शिव सेना का ध्यान, कम्यूनिस्टों की तरफ गया जिसे वे राष्ट्र-विरोधी समझते थे। 1980 के दशक से, इसने हिंदुओं को अपने पक्ष में करने का अभियान चलाया। इसने अयोध्या में राम आंदोलन मंदिर बनाने के लिए किये गये आंदोलन में भी भाग लिया था। शिव सेना एन.डी.पी सरकार का भी हिस्सा रही है। 2019 के विधान सभा चुनावों के बाद इसने एम.डी.ए. को छोड़ दिया तथा एन.सी.पी. और काँग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। उद्घव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री बने थे।

2.5 पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत पार्टियां

भारत में 2000 से ज्यादा पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत पार्टियां हैं। ये पार्टिया क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं तथा इनकी कार्यप्रणाली, इनकी नेतृत्व, नीतियों एवं कार्यक्रमों में काफी अंतर है। इन पार्टियों के नेता किसी विशेष समुदाय वर्ग से संबंधित भी होते हैं, कभी-कभी ये नेता अपने पूर्व दल के साथ मनमुटाव होने पर अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। 1990 के दशक से इन पार्टियों की उपस्थिति सबसे अधिक उत्तरप्रदेश एवं बिहार में देखने को मिलती हैं। सामान्यतौर पर इन पार्टियों का गठन ऐसे नेताओं द्वारा किया गया है जो पिछड़े वर्गों में आते हैं। ये पार्टियां पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाती हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में इन क्षेत्रीय पार्टियों का चुनावी प्रदर्शन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। फिर भी, ये पार्टियां चुनाव जीतने पर सरकार बनाने के लिये राष्ट्रीय दलों के साथ सौदेबाजी करती हैं। कुछ दलों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल, पी.एम.एस.पी., राजभर समुदाय के दल तथा बिहार में उपेन्द्र कुषवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल है।

बोध प्रश्न 2

- नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।
- 1) क्षेत्रीय दलों के गठन के पीछे कौन-कौन से कारण है? इस प्रश्न का उत्तर किसी क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में दीजिये।
-
-
-
-

- 2) आम दल का गठन किसी अन्य राज्य स्तरीय पार्टी से अलग है। ऐसा क्यों है?
-
-
-
-

2.6 सारांश

भारत में राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत में करीब 2300 से अधिक पार्टियां हैं जो लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। इतनी अधिक पार्टियां होने के बावजूद केवल सात राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 1980 दशक के बाद से बहु-दलीय प्रणाली के बाद देश में गठबंधन की सरकारों का दौर चला है जो केन्द्र एवं राज्य दोनों में मौजूद हैं। क्षेत्रीय पार्टियां चुनावी राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये दल स्थानीय वोटरों को चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान कर रही हैं और उनके प्रतिनिधि उनकी आवाज उठा रहे हैं। क्षेत्रीय दल राज्य अथवा लोकल स्तर पर लोगों की आकाशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.7 संदर्भ

अरोड़ा, बलवीर (2002), पोलिटिकल पार्टिज एन्ड ए पार्टी सिस्टम: द इमरजेंस ऑफ न्यू कोयलिसंस इन द बुक, ऑफ जोया हसन, पार्टिज एंड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया, न्यू दिल्ली, ओ. यू. पी.

भांबरी, सी. पी. (1968), आईडियोलोजी एन्ड पोलिटिकल पार्टिज इन इंडिया. इकोनामिक एन्ड पोलिटिकल वीकली वोल्यूम 3 (16): पृ. 643-646।

ब्रास, पॉल (1985), कास्ट, फैक्सन एन्ड पार्टी पद इंडियन पालिटिकल, नई-दिल्ली, चाणक्य प्रकाशन।

छिब्बर, के, प्रदीप एन्ड राहुल वर्मा (2018), आईडियोलोजी एन्ड आईडिटीं: द चेंजिंग पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया. न्यू-दिल्ली, ओ.यू.पी।

भारत में राजनीतिक दल

गुप्ता, दियांकर (1982) नेटिविज्म इन ए मेट्रोपोलिस, द शिव सेना इन बोम्बे, मनोहर, नई दिल्ली.

जी. एस. (1999) राइज ऑफ स्मालर पार्टीज, ई.पी.डब्ल्यू वोल्यूम 34 (41), अक्टूबर, 1999 पी.पी. 2912-13

हसन, जोया (2012), कॉर्ग्रेस आपटर इंदिरा पोलिसी, पावर, पोलिटिकल चेंज (1984-2009). न्यू दिल्ली ओ. यू. पी.

हसन, जोया (2000), पोलिटिक्स एण्ड द स्टेज इन इंडिया. न्यू दिल्ली, इंडिया, सेज, प्रकाशन

हसन, जोया (2002), पार्टीज एन्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया, न्यू दिल्ली, ओ. यू. पी.

हीथ, ओलिवर (2002), अनोटोमी ऑफ बी. जे. पी. राइज टू पावर: सोशल, रीजनल, एन्ड पोलिटिकल एक्सपेंसन इन 1990 (सं.) इन जोया हसन, पार्टीज एन्ड पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया।

जैफरलो, क्रिस्टोफ (2002) ए स्पेसिफिक पार्टी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी: द जनसंघ एन्ड द आर. एस.एस. इन जोया हसन, पार्टी एण्ड पार्टी पोलिटिक्स न्यू दिल्ली, ओ. यू. पी.

पाई-सुधा, (1990), रीजनल पार्टीज एन्ड द इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ पोलिटिक्स इन इंडिया, द इंडिया जनरल ऑफ पोलिटिकल साईंस वोल्यूम 51, जुलाई-सितंबर, 1990 - पी पी 393-425

पाई-सुधा, (2002) दलित असर्सन एन्ड द अनफिनिस्ड डेमोक्रेटिव रिकल्यूशन: द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली.

ब्रास, पॉल (1985), कास्ट, फैक्सन एन्ड पार्टी इन इंडियन पालिटिकल, नई-दिल्ली, चाणक्य प्रकाशन।

भांभरी, सी. पी. (1968), आईडियोलोजी एन्ड पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इकोनामिक एन्ड पोलिटिकल वीकली वोल्यूम 3 (16): पृ. 643-646।

शास्त्री, संदीप, सूरी, के. सी. एन्ड यादव, योगेन्द्र (2009) इलेक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स: लोक सभा इलैक्षन्स इन 2004 एन्ड बियोंड, ओ. यू. पी. न्यू दिल्ली.

सुब्रमन्यीनम, नरेन्द्र (2002), ब्रिंजिंग सोसाइटी बैक इन: ऐथानिसिटी, पोपूलिज्म, एन्ड प्लूरोलिज्म इन साउथ इंडिया: इन जोया हसन पार्टीज एन्ड पोलिटिक्स इन इंडिया, न्यू दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

- 1) भारत में तीन प्रकार के दल हैं: राष्ट्रीय दल, राज्य का क्षेत्रीय दल, तथा पंजीकृत या गैर-पंजीकृत दल।
- 2) बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम द्वारा की गयी थी। यह देश में जातीय आंदोलन का परिणाम था जो पंजाब से शुरू होकर यू.पी. तक फैलता गया।

राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था

इसका प्रमुख लक्ष्य था दलितों एवं पिछड़ों को अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ एकजुट करना। इसके समर्थकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, क्रिष्णियन एवं सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन बी.एस.पी. कभी भी सभी अल्पसंख्यक वर्गों की पार्टी न बन सकी थी। बी.एस.पी. का सबसे प्रमुख आधार दलित वर्ग ही था जो कि राजनीतिक रूप से सशक्त था। काशीराम इसके जनक थे और वे अंबेडकर की विचारधारा के समर्थन थे। उनका मानना था दलित वर्ग को एक ही बात पर जोर देना चाहिए कि उनको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो।

अभ्यास प्रश्न 2

- 1) दलों के गठन का प्रमुख कारण जातियता, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहचान की राजनीति इत्यादि।
- 2) आम आदमी पार्टी का गठन अन्य क्षेत्रीय दलों से दो कारणों से है इसकी कोई एक विचारधारा नहीं है; तथा यह किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।



इकाई 3 भारत में दलीय प्रणाली*

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 दलीय प्रणाली के प्रकार

3.2.1 एक-दलीय प्रणाली

3.2.2 द्वि-दलीय प्रणाली

3.2.3 बहु-दलीय प्रणाली

3.3 भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरण

3.3.1 कांग्रेस का प्रभुत्व युग (एक दलीय बनाम बहुदलीय)

3.3.2 कांग्रेस प्रणाली का पतन और गैर कांग्रेसी दलों का उदय (1967-1989)

3.3.3 गठबंधन/दलीय प्रणाली का उदय

3.4 भारतीय दलीय प्रणाली की सीमाएँ

3.5 सारांश

3.6 संदर्भ

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कर सकेंगे :

- एक दलीय, द्वि-दलीय और बहु-दलीय प्रणाली में अन्तर;
- भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरणों का विश्लेषण; और
- भारत में दलीय प्रणाली की सीमाओं की व्याख्या।

3.1 प्रस्तावना

जैसा कि आपने पहली इकाई में पढ़ा है राजनीतिक दल एक राजनीतिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये ये महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उनकी विशेषताओं में संगठन, नेतृत्व विचारधारा नीतियों और कार्यक्रमों, समर्थन के आधार और तरीका शामिल है। राजनैतिक व्यवस्था यह बताती है कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, और प्रकृति के गठबंधन में राजनीतिक दल चुनाव से पहले या बाद में गठन करते हैं और सरकार बनाते हैं। आपने इकाई 2 में भी पढ़ा है। भारत में राजनीतिक दलों और उनके प्रकार के बारे में। इस इकाई को यह बताया जाएगा कि भारत में राजनीतिक दलों की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार समूह दलों की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार समूहबद्ध किया जा सकता है। भारत की तत्कालीन पार्टी पद्धति का विकास मूलरूप से स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में हुआ था। आजादी के बाद राजनीतिक दलों का उद्देश्य बदल गया। स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक दल राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा थे जिसका मुख्य

*डॉ. दिव्या रानी, कंसलटेंट, राजनीति संकाय, इग्नू नई दिल्ली

उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति करना था। स्वतंत्रता के पश्चात उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति और उन्मुखी निर्माण के लिए स्थानांतरि हो गया। इस काम के लिए उन्होंने प्रति स्पर्धा की। परिणाममतः भारत में राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय प्रभुत्व से लेकर कई दलों के प्रादुर्भाव तक बदलाव आया। हालांकि ए.आई.एच. भारत की एक बहुदलीय प्रणाली है आजादी के पहले दो दशकों में पार्टी व्यवस्था कई चरणों से गुजरी है। देश में एक दलीय व्यवस्था बनाम बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था व गठबंधन सरकार की अवधारणा 1989 के बाद प्रसिद्ध हुई थी और अब भी यह भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रचलित है। भारत में राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली (दलीय व्यवस्था) सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक, जातीय, जाति समुदाय और धार्मिक बहलवाद से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन की परंपराएं, पार्टी नेतृत्व की विरोधाभासी शैली और वैचारिक दृष्टिकोण का सामना करना भारतीय संविधान ने केन्द्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप स्थापित किया है। लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव देश के नागरिकों द्वारा किया जाता है इसलिए चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियां देश की राजनैतिक प्रणाली का हिस्सा बन जाती हैं। दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है और यह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी है।

3.2 दलीय प्रणाली के प्रकार

मुख्य रूप से दलीय प्रणाली की तीन श्रेणियां हैं :

3.2.1 एक दलीय प्रणाली

एक दलीय प्रणाली पर केवल एक पार्टी (दल) का शासन होता है इसका कोई विरोध नहीं होता है। इस सत्तावादी सिद्धान्त को पहले राजतंत्रों और बाद में एक तानाशाही के रूप में पाया गया और अब ये व्यवस्था कुछ जन तांत्रिक देशों में मौजूद है। फिर भी ऐसे शासनों में भी चुनाव कराए जाते हैं। यदि दर्शकों के सामने लोकप्रिय समर्थन के रूप में शासन को पेश किया जाए मतदाता चयन केवल एक उम्मीदवार के लिए सीमित होता है एक दलीय प्रणाली का अत्यावश्यक कार्य राजनीति के बड़े निर्गम पर गन संपन्न मतदाताओं के फैसले लेने लिए नहीं बल्कि अनुशासन और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए है। लोगों के बीच आज्ञाकारिता प्रणाली को औपचारिकता प्रदान करती है। और उस प्रकार लोकतांत्रिक अधिकारी को कम करती है क्योंकि सत्ता औपनिवेशिक देशों या अन्य राज्यों के मामलों में होती है। इस प्रणाली में भाषा और अभिव्यक्ति, प्रेस और संघों की स्वतंत्रता को समाप्त करना शामिल है। इस प्रकार की दलीय व्यवस्था जनता के लोकतंत्र और अधिकारों का समर्थक नहीं है। इस प्रणाली में कहीं कोई विरोध न तो पार्टी के और न ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रावधान होता है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है।

3.2.2 द्विदलीय प्रणाली

द्विदलीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें अन्य दलों की मौजूदगी के बावजूद सिर्फ दो ही पक्ष मतदाताओं का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त करते हैं इनमें से एक सत्ताधारी तथा दूसरी विरोधी पार्टी होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दो दलीय प्रणाली के अच्छे उदाहरण हैं। अमेरिका में डैमाकेटिक और रिपब्लिकन पार्टीया प्रमुख दलें हैं और ब्रिटेन में लेबर और कंजरवेटिव पार्टी मुख्य दल हैं।

3.2.3 बहु-दलीय प्रणाली

बहु-दलीय प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो से अधिक दल मौजूद हैं जो सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। भारत और कई यूरोपीय देशों के पास एक बहुआयामी प्रणाली ही बहु-दलीय प्रणाली में तीन, चार या इससे अधिक दल गठबंधन सरकार बनाने और शासन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाने के लिए एकजुट होते हैं। बहुदलीय प्रणाली दो प्रकार की है: अस्थिर और स्थिर काम कर रहे भारत में 1996-1998 के दौरान इस प्रणाली की तरह बर्ताव करती है। और इस प्रकार सरकार को स्थिरता प्रदान करती है। हालांकि उनमें दो से अधिक राजनैतिक दल हैं। बहुदलीय प्रणाली गठबंधन सरकार को बढ़ावा देती है और 1990 के दशक से भारत में गठबंधन सरकार रही हैं। इस प्रणाली की कमी यह है कि मंत्रीपरिषद के सदस्य अपने दल के अध्यक्षों के नेतृत्व में कार्य करने के बजाय ब्लैकमेल (भयादोहन) या सरकार में फेर बदल करने के लिए प्रयास करते हैं। सरकार की अस्थिरता इस प्रकार की पार्टी पद्धति में एक समस्या थी।

अभ्यास प्रश्न 1

- नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
 ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

- 1) द्वि-दलीय और बहु-दलीय प्रणाली में क्या अंतर है?
-

3.3 भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरण

भारत में दलीय प्रणाली ने एक ही पार्टी कांग्रेस के प्रभुत्व से लेकर कई पार्टियों के गुणन में विभिन्न चरणों में दिखाई दिया है। इस इकाई में हम पार्टी के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे।

3.3.1 कांग्रेस का प्रभुत्व युग (एक दलीय और बहु-दलीय)

आप पढ़ चुके हैं कि स्वाधीनता से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों का जन्म हुआ था आजादी के बाद, जनता पार्टी शासन (1977-80) के एक संक्षिप्त अवधि में अलावा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) बीसवीं शताब्दी से पहले सबसे अधिक लोकप्रिय अखिल भारतीय स्तर की पार्टी रही। रजनी कोठारी के अनुसार पार्टी के वर्चस्व की अवधारणा ने 1950 के दशक और 1960 के दशक में एक दलीय प्रणाली की अपेक्षा भारत की दलीय प्रणाली की व्याख्या अधिक सही ढंग से की। वास्तव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ‘कांग्रेस व्यवस्था’ के प्रमुख दल के रूप में बताया। कांग्रेस ने पहले चार आम चुनावों में संसद को पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस स्थान को 1967 तक हासिल किया। कांग्रेस में इतनी प्रबल ताकत थी कि उसने 1952, 1957 और 1962 में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के प्रायः सभी चुनावों में बहुमत प्राप्त कर लिया। हालांकि उसने लोकसभा

चुनावों में 48 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं किया था (1957 में सबसे अधिक 47.78 प्रतिशत) परन्तु 1952 में 364 सीटों को बहुमत प्राप्त हो गया। 1962 से सन् 1957 में 371 और 361 मत)। कुछ को छोड़कर राज्य विधानसभाओं में लगभग सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व था। इस प्रणाली में तीन यानि बहुदलीय प्रणाली से देश की एक प्रमुख पार्टी बन गई थी। इस चरण की मुख्य विशेषता थी - बहु दलीय बनाम एक दलीय व्यवस्था। चौथे आम चुनाव के बाद नेहरू के निधन के बाद पार्टी के विभाजन का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ा। हालांकि कांग्रेस केन्द्र में एक प्रमुख दल था और अधिकांश राज्यों में वह कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही थी इसके अनेक उदाहरण हैं। इसका सबसे बड़ा विरोधी दल केरल में भारतीय कम्यूनिस्ट दल रहा। 1960 के दशक में समाजवादी दल, बी.के.डी./बी.एल.डी./एल.डी./वाम दलों जन संघ, रिपब्लिकन, पार्टी डी. के और विभिन्न राज्यों में कई अन्य दलों ने एक ही दल प्रणाली के रूप में कांग्रेस पर दबदबा बनाने की चुनौती दी। उन्होंने लोगों को सामाजिक स्तर पर जुटाया। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों इसके परिणामस्वरूप आठ राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई और गैर-कांग्रेसी शासन की स्थापना हुई इसके साथ ही कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया, जिसका केन्द्र और अधिकांश राज्यों में वर्चस्व था। तथापि इससे पार्टी के समर्थन आधार पूर्ण रूप से क्षण नहीं हुआ। कांग्रेस को अनेक अवसरों पर अनेक राज्यों और केन्द्र में समर्थन प्राप्त होता रहा। लेकिन 1960 के दशक में यह एक दल के वर्चस्व वाला दल नहीं रहा।

3.3.2 कांग्रेस प्रणाली का पतन और गैर-कांग्रेसी तत्वों के उदय (1967-1989)

1967 के चौथे आम चुनाव से अब तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के पतन तथा विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों और नेताओं ने न केवल कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के हितों और आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते थे मजबूत चुनौती उन नेताओं और दलों की ओर से आई जिन्होंने कृषि समुदायों और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में बी.के.डी., बी.एल.डी., या एल.डी. और समाजवादी दल कांग्रेस के विकल्प बनकर उभरे। उन्होंने कृषक समुदायों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को प्राथमिकता दी बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत तथा केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना एजेंडा का उदाहरण था जो कांग्रेस के कार्यक्रम से भिन्न था। 1967-1989 के दौरान राज्यों में राजनीतिक निकाई। राजनैतिक प्रणाली मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में प्रतियोगिता कांग्रेस और बी.जे./बीजेपी के बीच थी। केरल, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस थी और प्रमुख प्रतियोगियों को छोड़ गई थी। पंजाब जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में आंध्रप्रदेश, असम और गोवा में गठबंधन हो गया। हालांकि भाजपा ने भी भारी मत हासिल किया। उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह प्रतियोगिता मुख्य तथा कांग्रेस और विभिन्न क्षेत्रीय दलों या उनके गठबंधनों के बीच थी। तमिलनाडु में द्रमुक के द्रमुक और अकादमी की स्पर्धा की गई है। इसके अलावा 1969 में कांग्रेस में विभाजित होकर सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता का क्षण हुआ। इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन और सन् 1975-1977 में आपातकाल लगने से कांग्रेस का पतन हो गया। पहली बार केन्द्र स्तर पर कांग्रेस को जनता पार्टी ने चुनौती दी थी। 1977 में हुए पांच दलों के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। इस चुनाव में कांग्रेस की हार को दलीय पद्धति में नये युग का अग्रदूत माना गया। बहरहाल, 1980 के दशक में जनता के ब्रान्ड के चरण में कांग्रेस की उन्नति हुई।

1984 में कांग्रेस की लोकप्रियता इंदिरा गांधी के कत्तल के बाद हुए संसदीय चुनाव में चरम पर पहुँच गई। इस कांग्रेस की जीत के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने।

लेकिन राजीव गांधी सरकार ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। इन चुनौतियों में मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शामिल था। अयोध्या, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में राजीव गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ पी. सिंह बोफोर्स से बंदूके खरीदना। चूंकि सरकार का नेतृत्व कांग्रेस नेता ने किया था। इसकी चुनौतियों का असर कांग्रेस पर पड़ा इसके अलावा कांग्रेस के कुछ परंपरागत सहयोगियों जैसे दलितों तथा कुछ कमज़ोर वर्गों ने हाल ही में गठित पार्टी बी.एस.पी (1984 में स्थापित) के साथ मिलकर काम किया। 1989 में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और जनता के दल के नेतृत्व वाला गठबंधन को राष्ट्रीय मोर्चा गठित सरकार के नाम से जाना गया और वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। 1980 के दशक के अंत से कांग्रेस पार्टी विफल रही है। एक लोकप्रिय नेतृत्व उत्पन्न करने के लिए जो विभिन्न हितों को समायोजित करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति आक्रमण का शिकार करने में सक्षम है। बाद में दशकों में जबकि बी.पी. भारत की सबसे प्रभावशाली राजनैतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। कांग्रेस दल को अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता थी। भारत में गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया लंबी हो गई।

3.3.3 गठबंधन दलीय व्यवस्था का उदय

गठबंधन राजनीति में वृद्धि ने दलीय प्रणाली के बीच प्रतिद्वंद्विता को परिवर्तित कर दिया है। और वह प्रतिद्वंद्विता राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के गठबंधन के बीच एक हो गई है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में और केन्द्र में क्रमशः 1969 और 1977 में एस.वी.डी. गठबंधन ओर जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई गयी थी लेकिन 1989 में ही भारत की राजनीति में गठबंधन राजनीति का स्वरूप बदल गया। राजनैतिक दलों ने पहले ही गठबंधन किया था। 1996 में गैर-भाजपा पार्टियों ने 13 राजनैतिक दलों ने संयुक्त मोर्चा के नाम से एक गठबंधन बना लिया था। इस गठबंधन में जनता दल, समाजवादी दल, द्रविड़ मुन्ने कञ्जम, तेलंगण, असम गण परिषद और वामपंथी पार्टियों को सम्मिलित किया गया। संयुक्त मोर्चा ने एच. डी. देवगोड़ा 1996 में तथा इन्द्र कुमार गुजराल 1997-1998 में प्रधान मंत्री के रूप में केन्द्र में दो सरकारें चलायी। इसी प्रकार वर्ष 1999 में गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई। 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गठित सरकारों में कई दल शामिल थे। किंतु वर्ष 2004 से प्रमुख रूप से दो राजनैतिक दलों पर केंद्रित गठबंधन हुए जिन्होंने केन्द्र और राज्यों में सरकारों का गठन किया। एक समूह का नेतृत्व कांग्रेस द्वारा यू.पी.ए. के नाम से किया गया है दूसरे समूह का नेतृत्व बी.जे.पी. द्वारा किया गया जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नाम से जाना गया है। गठबंधन सरकार यू.पी.ए. ने मनमोहन सिंह में नेतृत्व में दो केन्द्र सरकारें बनाई 2004-2009 के दौरान तथा 2009-2014 के दौरान। एन.डी.ए. ने भी 2014 से 2019 एवं 2019 से अब तक दो बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। कांग्रेस एवं बी.जे.पी. के अलावा भी अन्य प्रकार के गठबंधन बने थे। इस प्रकार का गठबंधन तीसरा मोर्चा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तीसरा मोर्चा यू.पी.ए. एवं एन.डी.ए. की तरह कभी स्थायी नहीं रहा था। कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, एम.पी. नागालैण्ड और सिविकम में भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं।

3.4 भारतीय दलीय प्रणाली की सीमाएं

एक सुगठित संगठन, विचारधारा, आंतरिक लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक नेतृत्व और नीतियों तथा कार्यक्रम लोकतंत्र में राजनीति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल आम तौर पर इन मापदंडों को पूरा नहीं करते। हालांकि कुछ पार्टियों के संगठन होते हैं। लेकिन सभी तरह की पार्टियाँ राष्ट्रीय राज्य या अपेक्षीकृत पार्टियों व्यक्तित्व के पीछे मिल-जुलकर रही हैं। राज्यों के अधिकांश दलों को उनके नेताओं द्वारा ज्ञात है कि उनकी नीतियों या राजनीतिक दलों के रूप में उनकी नीतियों या पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। जिसमें निर्णय लोकतंत्री ढंग से नहीं लिए जाते या पार्टियों के भीतर व्यक्ति या व्यक्ति समूह बड़े-बड़े निर्णय लेते हैं। कुछ पार्टियों सभी के बनाये समाज के विशिष्ट वर्गों के हितों को उठाती हैं। भारत में नेहरू के बाद के युग में पार्टी की संरचना (ढांचा) का कमजोर होना शुरू हुआ। गुटबाजी और आंतरिक प्रतिस्पर्द्धा के परिणाम स्वरूप भारत में पार्टियों के बीच फूट हुई और गुट बने। राजनीतिक दलों, अपराधियों कारपोटेट सेक्टर, और भ्रष्टाचार के बीच संबंध भारत में दलीय प्रणाली को सीमित बनाते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

- नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए
- ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।
- 1) भारत के संदर्भ में “एक-दलीय प्रभुत्व बनाम बहु-दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

.....
.....
.....
.....

- 2) गठबंधन सरकार क्या है?

.....
.....
.....
.....

3.5 सारांश

भारतीय राजनैतिक प्रणाली ने तीनों प्रकार की पार्टी (दलीय) व्यवस्थाएं हैं। तथापि उनकी बुनियादी पारंपरिक अवधारणा से अलग हैं। भारत में एमदलीय प्रणाली थी पर एक दलीय पद्धति नहीं थी, कांग्रेस के वर्चस्व के पश्चात भारत में दोनों एक द्वि-दलीय प्रणाली और एक

बहु-दलीय प्रणाली हैं। बहुत से क्षेत्रीय दलों के उद्घव और आम चुनाव और विधान सभाओं के चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी से राजनीतिक संस्थानों को अधिक लोकतांत्रिक बना दिया। साथ ही साथ बहुलवादी भी बना दिया गया है। अब, बहुत से उपेक्षित वर्गों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों के अपने प्रतिनिधि और पार्टियां हैं जो उनकी रुचि को पूरा करती हैं। एक प्रकार से वह पार्टी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समायोजित बना रही है परन्तु दूसरी ओर सरकार अस्थिर करती है। बहुत सी सीमाओं के बावजूद बहुदलीय व्यवस्था ने राजनीतिक संगठनों को और ज्यादा लोकतांत्रिक एवं समावेशी बना दिया है।

3.6 संदर्भ

अरोड़ा, बलबीर (2002), 'पोलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम: द इंसरजैंस ऑफ न्यू कोमलिशन', इन जोया हसन पार्टीज एन्ड पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, नई दिल्ली, ओ.यू.पी.

छिब्बर के, प्रदीप और राहुल वर्मा (2018), आइडोलोजी और आइडेंडिटी, द चेंजिंग पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, ओ.यू.पी.

हसन, जोया, (2000), पोलिटिक्स एंड स्टेट इन इंडिया, नई-दिल्ली, ओ.यू.पी. प्रकाशन

कोठारी, रजनी (1961), पार्टी सिस्टम, द इकोनोमिक वीकली, पी.पी. 847-854।

कोठारी, रजनी (1982), पोलिटिक्स ऑफ इंडिया, नई-दिल्ली, ओरियंट ब्लैक स्वान।

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

- दो दलीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें अन्य दलों की उपस्थिति के बावजूद केवल दो दलों को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है और इसमें अधीन सरकार बनाने की आशा है एक निश्चित समय पर निर्वाचित उम्मीदवारों में से अधिकांश किसी एक के सदस्य होते हैं जो सरकार बनाते हैं जबकि दूसरा पक्ष विपक्ष में ही रहता है बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो से अधिक दल मौजूद होते हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं किंतु कोई भी दल अकेले शासन करने पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है भारत और कई यूरोपीय देशों के पास एक बहुआयामी प्रणाली है। बहु-दलीय प्रणाली में तीन, चार या इससे अधिक दल गठबंधन सरकार बनाने और शासन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाने के लिए एक जुट होते हैं क्योंकि उनमें किसी एक विचारधारा के प्रति वचनबद्धता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडेम दो दलीय प्रणाली के अच्छे उदाहरण हैं। भारत बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकारें बनाई जाती हैं जो न्यूनतम साझा प्रोग्रेम अपनाती हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

- स्वतंत्रता के बाद से 1970 के दशक की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर कांग्रेस ने भारत में बहुदलीय प्रणाली के साथ दलीय प्रणाली में प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। यह प्रणाली एक पार्टी के प्रभुत्व बनाम बहुदलीय प्रणाली के रूप में प्रचलित है।
- बहुदलीय प्रणाली में कई दल गठबंधन तथा न्यूनतम साझा प्रोग्रेम के आधार पर हम सरकार बनाने के लिए एकत्र होते हैं। 1990 के दशक से भारत ने कई गठबंधन

राजनीतिक दल और दलीय
व्यवस्था

सरकारें देखी है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े राष्ट्रीय दलों की विफलता से कई छोटे-2 दल सामने आए हैं। 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गठित सरकारें कई दलों के गठबंधन में रही। इसका लाभ यह है कि इस तरह ही सरकार किसी विचारधारा विशेष पर नहीं चलती लेकिन आम न्यूनतम कार्यक्रम में तो यह प्रणाली और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है।

